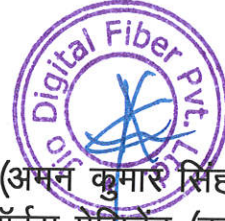


मांग पत्र

“जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड” द्वारा सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपवर्तित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मांग पत्र प्रस्तुत है।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)

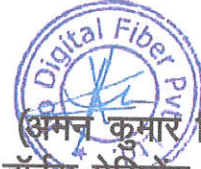
जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड

रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव क्रमांक : FP/CG/OFC/155722/2022 पंजीबद्ध किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल सुकमा



(अमन कुमार सिंह)
असिस्टेंट वॉइस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)



**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)**

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-940A/1869

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
सुकमा वनमंडल सुकमा
छत्तीसगढ़

विषय: - सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Sukma District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 3.857 हे. पंजीयन बाबत।

संदर्भ: - आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 28.07.2022 एवं अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 16/09/2022 तथा स्टेट सिरियल नं. CG-033/2022

-00-

विषयान्तर्गत जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Sukma District of Chhattisgarh हेतु कुल क्षेत्र 3.857 हे. सुकमा वन मंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 29,000 = 35,000/- के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति आनलाईन संलग्न की गई है। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/155722/2022 आबंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें। प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त जगदलपुर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजते समय निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:-

1. एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार / तकनीकी अधिकारी से कराया जावे इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
3. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित

अ.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./ भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-940A/ 1869

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त जगदलपुर छ.ग.।
- वन संरक्षक (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन, अटल नगर, रायपुर छ.ग.।
- सहायक उपाध्यक्ष (कार्पोरेट कार्य), जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड, चौथी मंजिल, आफिस न. 401-405, अबुजा मॉल, रायपुर छ.ग. — आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें।

वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for
Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

(i). Proposal No. : FP/CG/OFC/155722/2022

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED, Sukma Forest Division, Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connectivity to Rural Areas in Sukma District of Chhattisgarh

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED, Sukma Forest Division, Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connectivity to Rural Areas in Sukma District of Chhattisgarh

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Proposal : Optical Fibre Cable

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 630

(viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 3.857

(ix). Non-forest land required for this project(in ha.): 7.844

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 99

A-2. Details of User Agency

(i). Name : JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

(ii). Address1 : 4th Floor, Office Block, Office No. 401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (C.G.)

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Chhattisgarh

(v). District : Raipur

(vi). Pin : 492014

(vii). Landmark : Ambuja Mall

(viii). Email address : amanksingh@rediffmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 771-3557756

(x). Fax No. : 771-

(xi). Mobile No. : 9752446854

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : Private

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Aman

(ii). Middle Name: Kumar

(iii). Last Name: Singh

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Asstt. Vice President (Corp. Affairs)

(vi). Address 1: 4th Floor, Office Block, office No. 401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa saddu, Raipur, Chhattisgarh

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Chhattisgarh

(ix). District: Raipur

(x). Tehsil: Raipur

(xi). Pin: 492014

(xii). Landmark: Ambuja Mall

(xiii). Email Address: amanksingh@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 771-3557756

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9752446854

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Sukma	3.857	7.844
Total		3.857	7.844

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Sukma	3.857	7.844
Total		3.857	7.844

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Bhopawada	0	0.239
2	Birla	0.194	0.297
3	Borguda	0.071	0.065
4	Chhindgarh	0.045	0.393
5	Chikpal	0.163	0.169
6	Chingawaram	0	0.132
7	Chintagupha	0.017	0.011
8	Dewarpalli	0.084	0.178
9	Dhobanpal	0.048	0.1
10	Dhora	0.009	0.083
11	Dodpal	0	0.067

12	Dornapal	0.166	0.161
13	Dubbateta	0.208	0.065
14	Fandiguda	0.02	0.257
15	Gadiras	0	0.363
16	Gidam	0.102	0
17	Gogla	0.181	0.016
18	Gorgunda	0.08	0.084
19	Gudra	0.034	0.179
20	Harimgarh	0.087	0.061
21	Jeerampal	0	0.131
22	Kakerlanka	0	0.205
23	Kamapendag	0.056	0.086
24	Kawarakopa	0.014	0.118
25	Keratong	0.035	0.027
26	Kerlapal	0	0.269
27	Kindarwada	0.117	0.1
28	Kodripal	0.047	0
29	Kokalpal	0.039	0.046
30	Kokawada	0.051	0.09
31	Konta	0	0.08
32	Korra	0	0.27
33	Kukanar	0.059	0.322
34	Leda	0.045	0.16
35	Mahim	0	0.067
36	Manikonta	0.185	0.253
37	Metaguda	0.144	0
38	Murtonda	0.095	0.182
39	Nagaras	0	0.227
40	Pakela	0.376	0.143
41	Palem	0.008	0.114
42	Pedakisoli	0.006	0.042
43	Penta	0.016	0.14
44	Polampalli	0.047	0.284
45	Premaras	0.039	0.036
46	Pujaripal	0.04	0.033
47	Puspal	0.015	0.081
48	Puswada	0.128	0.014
49	Rajpenta	0.087	0.179
50	Ramaram	0.057	0.154
51	Rampuram	0.005	0.095
52	Reddipal	0	0.143
53	Rokel	0.042	0.025
54	Sautnar	0.108	0.052
55	Sonakukanar	0	0.105
56	Sukma	0.149	0.444
57	Surepal	0	0.08
58	Temalwada	0.319	0.037
59	Tongpal	0.019	0.09
Total		3.857	7.844

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Optical Fibre Cable	3.857	7.844
Total		3.857	7.844

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Sukma		
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 3.857 (ii). Nature of the Project: Linear (b). No. of Segments : One		
Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	3.857	 View File
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:  (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 		

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided:
No
- (a). Reason for not providing such map: Laying of OFC under Row Road Corridor

E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 5
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 40

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

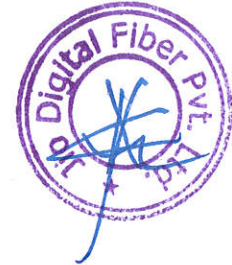
(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ? : Not Applicable

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Laying of telephone/optical fibre lines

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Land Schedule_Sukma
2		JDFPL Registration certificate
3		Undertaking Regarding Revenue forest Land Sukma
4		DD Registration and

		Processing Fee Sukma
5		DD Registration and Processing FEE
6		Acknowledgement of NOC application Regarding Revenue Forest Land
7		Acknowledgement of FRA application Regarding Forest Land
8		DGPS Survey Report_Sukma

☐ 

वनक्षेत्र विवरण

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	वन विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	आरक्षित वनभूमि	1.287
2	संरक्षित वनभूमि	1.355
3	राजस्व वनभूमि	1.215
कुल व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि (हेक्टेयर में)		3.857

वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल सुकमा

(अमन कुमार सिंह)
असिस्टेंट वॉइस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर प्रस्तावित ऑप्टिकल फॉयबर केबल बिछाने में प्रभावित हो रहे वनभूमि का मार्गवार विवरण

वनभूमि का विस्तृत विवरण

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखण्ड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	बोगम	आरक्षित वनभूमि	31	1740.00	0.50	0.087
2	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	115	4200.00	0.50	0.210
3	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	116	920.00	0.50	0.046
4	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	119	1360.00	0.50	0.068
	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	118	1040.00	0.50	0.052
6	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	119	2040.00	0.50	0.102
7	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा	आरक्षित वनभूमि	162	1000.00	0.50	0.050
8	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा	आरक्षित वनभूमि	163	2040.00	0.50	0.102
9	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	275	2600.00	0.50	0.130
10	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	276	3040.00	0.50	0.152
11	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	283	1120.00	0.50	0.056
12	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	285	1860.00	0.50	0.093
13	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	285	340.00	0.50	0.017
14	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी-2	आरक्षित वनभूमि	287	760.00	0.50	0.038
15	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी-1	आरक्षित वनभूमि	284	1680.00	0.50	0.084
योग:-							25740.00		1.287
16	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रोकेल-1	संरक्षित वनभूमि	P77	700.00	0.50	0.035
17	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रोकेल-1	संरक्षित वनभूमि	P77	440.00	0.50	0.022
18	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रोकेल-1	संरक्षित वनभूमि	P77	400.00	0.50	0.020
19	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा	संरक्षित वनभूमि	P175	340.00	0.50	0.017
20	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा	संरक्षित वनभूमि	P175	980.00	0.50	0.049
21	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला-2	संरक्षित वनभूमि	P158	640.00	0.50	0.032
22	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला पूर्व	संरक्षित वनभूमि	P155	820.00	0.50	0.041
23	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला-6	संरक्षित वनभूमि	P153	120.00	0.50	0.006
24	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम-1	संरक्षित वनभूमि	P148	300.00	0.50	0.015
25	सुकमा	सुकमा	सुकमा	चिकपाल	संरक्षित वनभूमि	P274	660.00	0.50	0.033
26	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पेंटा	संरक्षित वनभूमि	P292	1220.00	0.50	0.061
27	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पेदाकुर्ती-3	संरक्षित वनभूमि	P289	360.00	0.50	0.018
28	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गगनपल्ली-1	संरक्षित वनभूमि	P667	360.00	0.50	0.018
29	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गगनपल्ली-1	संरक्षित वनभूमि	P667	600.00	0.50	0.030
30	सुकमा	सुकमा	कोंटा	एर्राबोर-3	संरक्षित वनभूमि	P675	600.00	0.50	0.030

31	सुकमा	सुकमा	कोंटा	एराबोर-2	संरक्षित वनभूमि	P676	580.00	0.50	0.029
32	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मेटागुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P699	1380.00	0.50	0.069
33	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मेटागुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P694	2880.00	0.50	0.144
34	सुकमा	सुकमा	कोंटा	फंदीगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P709	180.00	0.50	0.009
35	सुकमा	सुकमा	कोंटा	ढोढरा-3	संरक्षित वनभूमि	P711	180.00	0.50	0.009
36	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा	संरक्षित वनभूमि	P175	280.00	0.50	0.014
37	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा-3	संरक्षित वनभूमि	P168	380.00	0.50	0.019
38	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोपालगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P171	460.00	0.50	0.023
39	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोपालगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P171	980.00	0.50	0.049
40	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	जंगरपाल (कोकावाड़ा)	संरक्षित वनभूमि	P22	780.00	0.50	0.039
41	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	किंदरवाड़ा	संरक्षित वनभूमि	P94	1080.00	0.50	0.054
42	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	किंदरवाड़ा	संरक्षित वनभूमि	P94	600.00	0.50	0.030
43	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रानीबहार	संरक्षित वनभूमि	P111	800.00	0.50	0.040
44	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रानीबहार	संरक्षित वनभूमि	P111	900.00	0.50	0.045
45	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	चिंतागुफा	संरक्षित वनभूमि	P544	840.00	0.50	0.042
46	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	तेमेलवाड़ा-2	संरक्षित वनभूमि	P543	700.00	0.50	0.035
47	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	तेमेलवाड़ा-1	संरक्षित वनभूमि	P542	900.00	0.50	0.045
48	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पुसपल्ली	संरक्षित वनभूमि	P302	3460.00	0.50	0.173
49	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	कांकरलंका	संरक्षित वनभूमि	P299	1200.00	0.50	0.060
योग:-							27100.00		1.355

क्र.सं.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी)	चौड़ाई (मी)	क्षेत्रफल (हे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पेरमारास	राजस्व वनभूमि	126/1	480.00	0.50	0.024
2	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पेरमारास	राजस्व वनभूमि	103/2	300.00	0.50	0.015
3	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कावराकोपा	राजस्व वनभूमि	71	240.00	0.50	0.012
4	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कावराकोपा	राजस्व वनभूमि	84	40.00	0.50	0.002
5	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पालेम	राजस्व वनभूमि	87	160.00	0.50	0.008
6	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कुकानार	राजस्व वनभूमि	1333/1	1180.00	0.50	0.059
7	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	733	280.00	0.50	0.014
8	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	771	140.00	0.50	0.007
9	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	773	100.00	0.50	0.005
10	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	839/1	480.00	0.50	0.024
11	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	833	40.00	0.50	0.002
12	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	827	380.00	0.50	0.019
13	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम	राजस्व वनभूमि	109	600.00	0.50	0.030
14	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम	राजस्व वनभूमि	146	240.00	0.50	0.012
15	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1276	220.00	0.50	0.011
16	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1281	280.00	0.50	0.014
17	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1312	220.00	0.50	0.011

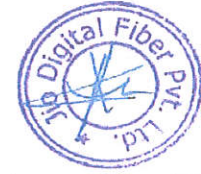
18	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1323	100.00	0.50	0.005
19	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1334	300.00	0.50	0.015
20	सुकमा	सुकमा	कोंटा	कामापेंदा	राजस्व वनभूमि	388	360.00	0.50	0.018
21	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	169	40.00	0.50	0.002
22	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	129	20.00	0.50	0.001
23	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	129	60.00	0.50	0.003
24	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	143	80.00	0.50	0.004
25	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	151	20.00	0.50	0.001
26	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	151	40.00	0.50	0.002
27	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	167	20.00	0.50	0.001
28	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	167	40.00	0.50	0.002
29	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	143	40.00	0.50	0.002
30	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	143	260.00	0.50	0.013
31	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	148	100.00	0.50	0.005
32	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	148	80.00	0.50	0.004
33	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	158	340.00	0.50	0.017
34	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	168	140.00	0.50	0.007
35	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	166	80.00	0.50	0.004
36	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	500	320.00	0.50	0.016
37	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	513	420.00	0.50	0.021
38	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	514	340.00	0.50	0.017
39	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	189	100.00	0.50	0.005
40	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	290/1	320.00	0.50	0.016
41	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	307	40.00	0.50	0.002
42	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	306	1280.00	0.50	0.064
43	सुकमा	सुकमा	कोंटा	राजपेंटा	राजस्व वनभूमि	102	180.00	0.50	0.009
44	सुकमा	सुकमा	कोंटा	राजपेंटा	राजस्व वनभूमि	108	180.00	0.50	0.009
45	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेदाकिसोली	राजस्व वनभूमि	89	120.00	0.50	0.006
46	सुकमा	सुकमा	कोंटा	फंदीगुड़ा	राजस्व वनभूमि	266	220.00	0.50	0.011
47	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	978	100.00	0.50	0.005
48	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	985	120.00	0.50	0.006
49	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	734	240.00	0.50	0.012
50	सुकमा	सुकमा	गादीरास	रामपुरम	राजस्व वनभूमि	356	40.00	0.50	0.002
51	सुकमा	सुकमा	गादीरास	रामपुरम	राजस्व वनभूमि	269	60.00	0.50	0.003
52	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोगपाल	राजस्व वनभूमि	162	280.00	0.50	0.014
53	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोगपाल	राजस्व वनभूमि	161/1	80.00	0.50	0.004
54	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोगपाल	राजस्व वनभूमि	276/1	20.00	0.50	0.001
55	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	626	360.00	0.50	0.018
56	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	634/1	360.00	0.50	0.018
57	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	635	180.00	0.50	0.009

58	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकापाल	राजस्व वनभूमि	245	680.00	0.50	0.034
59	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकापाल	राजस्व वनभूमि	251	100.00	0.50	0.005
60	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1013	180.00	0.50	0.009
61	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1008	680.00	0.50	0.034
62	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1040	720.00	0.50	0.036
63	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1059	580.00	0.50	0.029
64	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोडरीपाल	राजस्व वनभूमि	1075	940.00	0.50	0.047
65	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	538	120.00	0.50	0.006
66	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	550	120.00	0.50	0.006
67	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पुसपाल	राजस्व वनभूमि	26	300.00	0.50	0.015
68	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	किन्दरवाड़ा	राजस्व वनभूमि	483/1	200.00	0.50	0.010
69	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	किन्दरवाड़ा	राजस्व वनभूमि	530	460.00	0.50	0.023
70	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	183	220.00	0.50	0.011
71	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	213	100.00	0.50	0.005
72	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	555	360.00	0.50	0.018
73	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	425	240.00	0.50	0.012
74	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	516	320.00	0.50	0.016
75	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	511	260.00	0.50	0.013
76	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	95	140.00	0.50	0.007
77	सुकमा	सुकमा	कोंटा	चिंतागुफा	राजस्व वनभूमि	115	340.00	0.50	0.017
78	सुकमा	सुकमा	कोंटा	तेमेलवाड़ा	राजस्व वनभूमि	200	480.00	0.50	0.024
79	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	165	140.00	0.50	0.007
80	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	415	540.00	0.50	0.027
81	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	412	420.00	0.50	0.021
82	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	444	260.00	0.50	0.013
83	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पोलमपल्ली	राजस्व वनभूमि	232	500.00	0.50	0.025
84	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पोलमपल्ली	राजस्व वनभूमि	195	440.00	0.50	0.022
85	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	123	320.00	0.50	0.016
86	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	126	80.00	0.50	0.004
87	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	128	440.00	0.50	0.022

88	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	135	300.00	0.50	0.015
89	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	368	120.00	0.50	0.006
90	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	357	260.00	0.50	0.013
91	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	170	80.00	0.50	0.004
राजस्व वनभूमि (हेक्टेयर में)							24300.00		1.215
कुल योग							77.140 कि.मी.		3.857

✓

वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल सुकमा



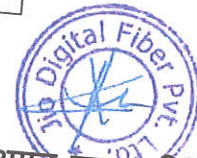
(अमन कुमार सिंह)
असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

गैर वन क्षेत्र विवरण

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वनभूमि का ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	ग्राम का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
1	गोपावाड़ा	0.239
2	बिरला	0.297
3	बोरगुड़ा	0.065
4	छिंदगढ़	0.393
5	चिकपाल	0.169
6	चिन्नावरम	0.132
7	चिन्तागुफा	0.011
8	देवरपल्ली	0.178
9	धोबनपाल	0.1
10	धोरा	0.083
11	दोदपाल	0.067
12	दोरनापाल	0.161
13	दुब्बाटेटा	0.065
14	फंदीगुड़ा	0.257
15	गादीरास	0.363
16	गोगला	0.016
17	गोरगुण्डा	0.084
18	गुदरा	0.179
19	हरीमगढ़	0.061
20	जीरमपाल	0.131
21	कोकेरलंका	0.205
22	कामार्पेंदाग	0.086
23	कवारकोपा	0.118
24	केराटोंग	0.027
25	केरलापाल	0.269
26	किन्दरवाड़ा	0.1
27	कोकलपाल	0.046

28	कोकावाड़ा	0.09
29	कोन्टा	0.08
30	कोर्ना	0.27
31	कुकनार	0.322
32	लेदा	0.16
33	महिम	0.067
34	मनीकोन्टा	0.253
35	मुरतोण्डा	0.182
36	नागरास	0.227
37	पाकेल	0.143
38	पालेम	0.114
39	पेदाकिसोली	0.042
40	पेन्टा	0.14
41	पोलमपल्ली	0.284
42	प्रेमारास	0.036
43	पुजारीपाल	0.033
44	पुसपाल	0.081
45	पुसवाड़ा	0.014
46	राजपेन्टा	0.179
47	रामाराम	0.154
48	रामपुरम	0.095
49	रेड्डीपाल	0.143
50	रोकेल	0.025
51	सौतनार	0.052
52	सोनाकुकनार	0.105
53	सुकमा	0.444
54	सुरेपाल	0.08
55	टेमलवाड़ा	0.037
56	तोंगपाल	0.09
	कुल योग	7.844



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर संलग्न हैं ।



(अमन कुमार सिंह)

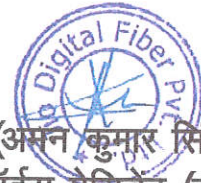
असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)

ज़ियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड

रायपुर (छ.ग.)

वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (FMIS) रायपुर से प्राप्त कर प्रस्ताव में समायोजित किया जायेगा ।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-4 में प्रस्ताव

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्ताव प्रपत्र-4 संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

FORM-IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा-2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने का प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे	
i	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वनभूमि अपेक्षित है ।	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल- छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित एवं आवेदित है।
ii	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है, जो उपवन संरक्षक की श्रेणी से कम का अधिकारी नहीं हो)	प्रस्तावित केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर सड़क राईट-ऑफ-वे के भीतर किया जावेगा, जो कि पूर्व से ही डायवर्टेड भूमि है तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा एवं वन्य प्राणी की क्षति नहीं होगी । प्रस्तावित क्षेत्र में निम्नलिखित भूमि की आवश्यकता है :- आरक्षित वनभूमि - 1.287 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि - 1.355 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि - 1.215 हेक्टेयर कुल वन भूमि - 3.857 हेक्टेयर
iii	परियोजना की कुल लागत	630 लाख रुपये
iv	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य तथा इसके लिए वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई, उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाए	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल- छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वन भूमि सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत पूर्व से ही व्यवहर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी

		भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी । अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।
v	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ ।	सुकमा, छिंदगढ़, गादीरास एवं कोन्टा तहसील अंतर्गत 59 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन-देने में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा ।
vi	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी	सुकमा, छिंदगढ़, गादीरास एवं कोन्टा तहसील अंतर्गत 59 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 50000 लोग लाभान्वित होंगे ।
vii	सृजित रोजगार	1500 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा ।
2	परियोजना स्कीम का स्थान	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
ii	जिला	सुकमा
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट	सूची संलग्न ।
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा	भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल 3.857 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है ।
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा	
i	वन की वैधानिक स्थिति ।	सुकमा वनमंडल :- आरक्षित वनभूमि – 1.287 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि – 1.355 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि – 1.215 हेक्टेयर कुल वन भूमि – 3.857 हेक्टेयर
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा ।	चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क के किनारे राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत किया जाना है, अतएव मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा आवश्यक

		नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता	आवश्यक नहीं है।
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा गोलाईवार गोसवारा	आवश्यक नहीं है।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा है अथवा नहीं ?	नहीं है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित, जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा है, यदि हाँ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें। (मुख्य वन जीव अभिरक्षक की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	नहीं है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने हेतु 3.857 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।
viii	क्षेत्र में पाए जाने वाली दुर्लभ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणीयों की प्रजातियाँ	नहीं है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नहीं है।
x	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iv	विस्तृत पुनर्वास योजना	निरंक
6	क्षतिपूर्ति वनीकरण का ब्यौरा	

i	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र, बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्से की संख्या, प्रत्येक हिस्सों का आकार	आवश्यकता नहीं है ।
ii	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र बिगड़े वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यकता नहीं है ।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों क्रियान्वयन एजेन्सी समय सूची ढाँचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	आवश्यकता नहीं है ।
iv	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय लागत	निरंक
v	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए जो कि उपवन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है ।
vi	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	आवश्यक नहीं है ।
7	पारेषण लाईनों के बारे में ब्यौरे (केवल पारेषण लाईनों के प्रस्तावों के लिए)	
i	पारेषण लाईन की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
ii	वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iii	मार्ग का अधिकार	आवश्यक नहीं है ।
iv	निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
v	वनक्षेत्र में निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
vi	पारेषण टॉवरों की ऊँचाई	आवश्यक नहीं है ।
8	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के लिए	

i	कुल कैचमेन्ट क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	कुल कमाण्ड एरिया	आवश्यक नहीं है ।
iii	कुल जलाशय स्तर	आवश्यक नहीं है ।
iv	उच्च बाढ़ स्तर	आवश्यक नहीं है ।
v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर	आवश्यक नहीं है ।
vi	परियोजना के कैचमेन्ट एरिया में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वन भूमि, कृषि भूमि, चारागाह, भवन, आबादी तथा अन्य)	आवश्यक नहीं है ।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
viii	पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ix	पूर्ण जलाशय स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र(केवल मंझोले व बड़े परियोजनाओं के लिए)	आवश्यक नहीं है ।
xii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न का कुल क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
xiii	पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
9	सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे(केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिए)	
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई एवं आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	सड़क की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iii	पूर्व निर्मित सड़क की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iv	वनक्षेत्र से गुजरने वाली सड़क की लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)	
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र एवं आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	आवश्यक नहीं है ।
iii	वनक्षेत्र एवं गैरर वनक्षेत्र में प्रत्येक	आवश्यक नहीं है ।

	खनिज/अयस्क धातु का अनुमानित भण्डार	
iv	खनिज/अयस्क धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	आवश्यक नहीं है ।
v	खनन कार्यों की किस्म (खुली एवं भूमिगत)	आवश्यक नहीं है ।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना	आवश्यक नहीं है ।
vii	खनन किए जाने वाले क्षेत्र का ढलान क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जाए(केवल नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न करें)	आवश्यक नहीं है ।
ix	नियोजित श्रमिकों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक वनभूमि		
(a)	खनन	आवश्यक नहीं है ।
(b)	खनिज एवं अयस्क भण्डारण	आवश्यक नहीं है ।
(c)	अधिभार का निक्षेप	आवश्यक नहीं है ।
(d)	उपकरणों तथा मशीनों के भण्डारण	आवश्यक नहीं है ।
(e)	भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है ।
(f)	शहर, आवास, कालोनियाँ	आवश्यक नहीं है ।
(g)	सड़क/रेल मार्ग/रोप वे का निर्माण	आवश्यक नहीं है ।
(h)	आवश्यक वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है ।
x	परियोजना के तहत उपर (a) से (h) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिए वनभूमि की माँग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?	आवश्यक नहीं है ।
xi	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
xii	बारहमासी नदियों, मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं जीव मण्डल	आवश्यक नहीं है ।

	रिजर्वों से खनन की दूरी	
xii	पुनः प्रयोग के लिए उपरी सतह मिट्टी के भण्डारण की प्रक्रिया	आवश्यक नहीं है ।
xiii	भूमिगत खनन कार्य में अपेक्षित अवतलन की मात्रा एवं जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नहीं है ।
11	लागत-लाभ विश्लेषण	आवश्यक नहीं है ।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है ? (हाँ/नहीं), यदि हाँ तो आवश्यक अभिलेख संलग्न है (हाँ/नहीं) ।	नहीं
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है ? (हाँ/नहीं), यदि हाँ तो –	
i	प्रारंभ तिथि सहित विवरण	नहीं
ii	अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी	नहीं
iii	की गई अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण	नहीं
iv	क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है ?	नहीं
14	कोई अन्य सूचना	निरंक
15	संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का विवरण	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।
16	निम्नलिखित बिन्दुओं पर संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत टिप्पणी	
i	वनभूमि से इमारती, जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वनोपज का उत्पादन	आवश्यक नहीं है ।
ii	क्या जिला इमारती एवं जलाऊ लकड़ी के लिए आत्मनिर्भर है ?	आवश्यक नहीं है ।
iii	प्रस्ताव के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों पर जीवकोपार्जन एवं जलाऊलकड़ी पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण	आवश्यक नहीं है ।
iv	कारणों सहित प्रस्ताव का स्वीकार अथवा अस्वीकार करने हेतु मुख्य वन	आवश्यक नहीं है ।

संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट टिप्पणी	
--	--

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वन भूमि की मांग न्यूनतम है ।

वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल सुकमा



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप

“मेसर्स जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड” द्वारा सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा- दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल- सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य को संपादित करने हेतु आवश्यक लागत रुपये 630 लाख है।

मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से लगभग 59 ग्रामों एवं उससे लगे अन्य ग्रामों में शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा।

उपरोक्तानुसार कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 77.140 कि.मी. वनक्षेत्र से होकर गुजरती है एवं कुल 3.857 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिसका वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 3.857 हेक्टेयर वनभूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

✓
वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल सुकमा



(अमन कुमार सिंह)
असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपविवर्तित किया जाना है। इस प्रकरण में मांग की गई भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल सुकमा



(अमन कुमार सिंह)
असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वन भूमि में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के अंतर्गत उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।



वनमंडलाधिकारी
सुकमा वनमंडल सुकमा



(अमन कुमार सिंह)
असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV)

सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

✓

वनमंडलाधिकारी
सुकमा वनमंडल सुकमा



(अमन कुमार सिंह)
असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-I

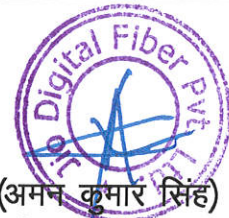
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव की ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/155722/2022

1	परियोजना विवरण	
i	अपेक्षित वनभूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल- छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिए जाने की मांग की जाती है । इस कार्य से सुकमा, छिंदगढ़, गादीरास, एवं कोन्टा तहसील अंतर्गत स्थित 59 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन-देन में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा ।
ii	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है ।
iii	परियोजना की कुल लागत	630 लाख रुपये
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल- छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिकल फाईबर केबल

		बिछाने के कार्य में माँग की जा रही वन भूमि सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी । अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।
v	लागत लाभ विश्लेषण वित्तीय तथा सामाजिक लाभ(संलग्न किए जाने के लिए)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक/7-9/2011-FC (Pt) नई दिल्ली दिनांक 01.08.2017 के अनुसार 20 हेक्टेयर से कम वनक्षेत्र व्यपवर्तन में आवश्यकता नहीं है ।
vi	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।	सुकमा, छिंदगढ़, गादीरास एवं कोन्टा तहसील अंतर्गत स्थित 59 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 50000 लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही 1500 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा तथा लगभग 100 बेरोजगार युवकों को स्थाई रोजगार प्राप्त होगा ।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सड़क समानांतर राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 3.857 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है ।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है ।	वन भूमि में कोई भी व्यक्ति निवासरत् नहीं है एवं वन भूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
i	परिवारों की संख्या	निरंक
ii	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iii	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	चूँकि विस्थापन नहीं किया जा रहा है, इसलिए जानकारी निरंक है ।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 के अनुसार अनुसूची में छूट प्रदान की गई है, इसलिए आवश्यक नहीं है ।

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(वचनबद्धता संलग्न की जाए)	चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत पूर्व डायवर्टेड भूमि के अंदर ही किया जाना है, अतएव पुनः वनीकरण की वचनबद्धता आवश्यक नहीं है ।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है ।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2⁴

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरे जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 2015/013

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
ii)	जिला	सुकमा
iii)	वन प्रभाग	सुकमा वनमंडल सुकमा
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	3.857 हेक्टर
v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन 1.287
		संरक्षित वन 1.355
		राजस्व वन भूमि 1.215
		3.857
vi)	हरियाली का धनत्व	0.2 से 0.3 तक
vii)	प्रजाति - वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल - 2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	चूंकि प्रस्तावित कार्य सड़क के किनारे राईट-आफ-वे के अंतर्गत किया जाना है अतएव किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होगा।
viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनाशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	आवेदित क्षेत्र के भूमि की दशा रेतीली मिट्टी है। भूमि की द्वारा प्राकृतिक (Geo-Ecological) 0.2 से 0.3 से मध्य धनत्व धारित वन विद्यमान है। भू-क्षरण की संभावना नहीं है। पुनरूपादन निरंक है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	आरक्षित वन 1.287
		संरक्षित वन 1.355
		राजस्व वन भूमि 1.215
		3.857

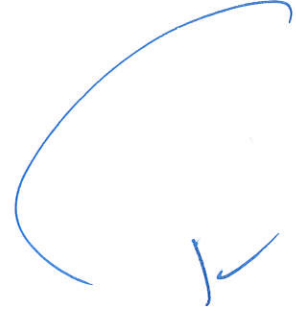
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हा तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वर्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं
Xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तदत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां, तदत्संबंधी प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो, दें ।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है ।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं ।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :- 1. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित आस पास के वन से इनकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार । 2. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	सड़क के किनारे राईट आफ-वे-अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण से छुट प्राप्त है ।

11	जिला वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षम प्रधाधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	आवश्यकता नहीं है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5601.620 वर्ग कि.मी.
ii	जिले का वन क्षेत्र	3448.520 वर्ग कि.मी.
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	सुकमा वनमंडल के अंतर्गत 1980 से अब तक कुल 70.225 हेक्टर वनक्षेत्र 5 प्रकरणों में उपयोग में लाया गया है।
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	सुकमा वनमंडल अंतर्गत वनभूमि में स्वीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध 104.440 हेक्टर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।
v	अब तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	228.650 18.730
	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल के अंतर्गत तोंगपाल - सुकमा, सुकमा - दोरनापाल, दोरनापाल - कोंटा, दोरनापाल - सुकमा, तोंगपाल, छिंदगढ़, चितागुफा - दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानंतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट आफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन रकबा 1.287 हे. संरक्षित वन 1.355 हे. एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे. कुल 3.857 हेक्टर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्राप्त करने हेतु विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत है। उपरोक्त ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने

		से दूरसंचार एवं इंटरनेट सुविधा से रोजगार के अवसर प्राप्त होगा तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। अतः वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।
--	--	---

तिथी :- 12-04-2023

स्थान - सुकमा



(थेजस शेखर)

भा. व. से.

वनमंडलाधिकारी

सुकमा वनमंडल, सुकमा

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनसंरक्षक/वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोंटा, मोखपाल - सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित एवं आवेदित है।		
2	आवेदक विभाग का नाम	असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोंटा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल - छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हेक्टेयर कुल 3.857 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित एवं आवेदित है।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा द्वारा वनमंडल अंतर्गत सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोंटा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल - छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।	जिला	वनमंडल	परियोजन स्थल
		सुकमा	सुकमा	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोंटा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल - छिंदगढ़, चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।

वनभूमि का विस्तृत विवरण

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखण्ड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	बोगम	आरक्षित वनभूमि	31	1740.00	0.50	0.087
2	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	115	4200.00	0.50	0.210
3	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	116	920.00	0.50	0.046
4	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	119	1360.00	0.50	0.068
5	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	118	1040.00	0.50	0.052
6	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	119	2040.00	0.50	0.102
7	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा	आरक्षित वनभूमि	162	1000.00	0.50	0.050
8	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा	आरक्षित वनभूमि	163	2040.00	0.50	0.102
9	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	275	2600.00	0.50	0.130
10	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	276	3040.00	0.50	0.152
11	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	283	1120.00	0.50	0.056
12	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	285	1860.00	0.50	0.093
13	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	285	340.00	0.50	0.017
14	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी-2	आरक्षित वनभूमि	287	760.00	0.50	0.038
15	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी-1	आरक्षित वनभूमि	284	1680.00	0.50	0.084
योग:-							25740.00		1.287
16	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रोकेल-1	संरक्षित वनभूमि	P77	700.00	0.50	0.035
17	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रोकेल-1	संरक्षित वनभूमि	P77	440.00	0.50	0.022
18	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रोकेल-1	संरक्षित वनभूमि	P77	400.00	0.50	0.020
19	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा	संरक्षित वनभूमि	P175	340.00	0.50	0.017
20	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा	संरक्षित वनभूमि	P175	980.00	0.50	0.049
21	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला-2	संरक्षित वनभूमि	P158	640.00	0.50	0.032
22	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला पूर्व	संरक्षित वनभूमि	P155	820.00	0.50	0.041
23	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला-6	संरक्षित वनभूमि	P153	120.00	0.50	0.006
24	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम-1	संरक्षित वनभूमि	P148	300.00	0.50	0.015
25	सुकमा	सुकमा	सुकमा	चिकपाल	संरक्षित वनभूमि	P274	660.00	0.50	0.033
26	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पेंटा	संरक्षित वनभूमि	P292	1220.00	0.50	0.061
27	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पेदाकुर्ती-3	संरक्षित वनभूमि	P289	360.00	0.50	0.018
28	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गगनपल्ली-1	संरक्षित वनभूमि	P667	360.00	0.50	0.018
29	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गगनपल्ली-1	संरक्षित वनभूमि	P667	600.00	0.50	0.030
30	सुकमा	सुकमा	कोंटा	एराबोर-3	संरक्षित वनभूमि	P675	600.00	0.50	0.030
31	सुकमा	सुकमा	कोंटा	एराबोर-2	संरक्षित वनभूमि	P676	580.00	0.50	0.029

32	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मेटागुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P699	1380.00	0.50	0.069
33	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मेटागुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P694	2880.00	0.50	0.144
34	सुकमा	सुकमा	कोंटा	फंदीगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P709	180.00	0.50	0.009
35	सुकमा	सुकमा	कोंटा	ढोढरा-3	संरक्षित वनभूमि	P711	180.00	0.50	0.009
36	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा	संरक्षित वनभूमि	P175	280.00	0.50	0.014
37	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा-3	संरक्षित वनभूमि	P168	380.00	0.50	0.019
38	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोपालगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P171	460.00	0.50	0.023
39	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोपालगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P171	980.00	0.50	0.049
40	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	जंगरपाल (कोकावाड़ा)	संरक्षित वनभूमि	P22	780.00	0.50	0.039
41	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	किंदरवाड़ा	संरक्षित वनभूमि	P94	1080.00	0.50	0.054
42	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	किंदरवाड़ा	संरक्षित वनभूमि	P94	600.00	0.50	0.030
43	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रानीबहार	संरक्षित वनभूमि	P111	800.00	0.50	0.040
44	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रानीबहार	संरक्षित वनभूमि	P111	900.00	0.50	0.045
45	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	चिंतागुफा	संरक्षित वनभूमि	P544	840.00	0.50	0.042
46	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	तेमेलवाड़ा-2	संरक्षित वनभूमि	P543	700.00	0.50	0.035
47	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	तेमेलवाड़ा-1	संरक्षित वनभूमि	P542	900.00	0.50	0.045
48	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पुसपल्ली	संरक्षित वनभूमि	P302	3460.00	0.50	0.173
49	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	कांकेरलंका	संरक्षित वनभूमि	P299	1200.00	0.50	0.060
योग:-							27100.00		1.355

क्र	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी)	चौड़ाई (मी)	क्षेत्रफल (हे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पेरमारास	राजस्व वनभूमि	126/1	480.00	0.50	0.024
2	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पेरमारास	राजस्व वनभूमि	103/2	300.00	0.50	0.015
3	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कावराकोपा	राजस्व वनभूमि	71	240.00	0.50	0.012
4	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कावराकोपा	राजस्व वनभूमि	84	40.00	0.50	0.002
5	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पालेम	राजस्व वनभूमि	87	160.00	0.50	0.008
6	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कुकानार	राजस्व वनभूमि	1333/1	1180.00	0.50	0.059
7	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	733	280.00	0.50	0.014
8	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	771	140.00	0.50	0.007
9	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	773	100.00	0.50	0.005
10	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	839/1	480.00	0.50	0.024
11	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	833	40.00	0.50	0.002
12	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	827	380.00	0.50	0.019
13	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम	राजस्व वनभूमि	109	600.00	0.50	0.030
14	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम	राजस्व वनभूमि	146	240.00	0.50	0.012

15	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1276	220.00	0.50	0.011
16	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1281	280.00	0.50	0.014
17	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1312	220.00	0.50	0.011
18	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1323	100.00	0.50	0.005
19	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटोटा	राजस्व वनभूमि	1334	300.00	0.50	0.015
20	सुकमा	सुकमा	कोंटा	कामापेदा	राजस्व वनभूमि	388	360.00	0.50	0.018
21	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	169	40.00	0.50	0.002
22	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	129	20.00	0.50	0.001
23	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	129	60.00	0.50	0.003
24	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	143	80.00	0.50	0.004
25	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	151	20.00	0.50	0.001
26	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	151	40.00	0.50	0.002
27	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	167	20.00	0.50	0.001
28	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	167	40.00	0.50	0.002
29	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	143	40.00	0.50	0.002
30	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	143	260.00	0.50	0.013
31	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	148	100.00	0.50	0.005
32	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	148	80.00	0.50	0.004
33	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	158	340.00	0.50	0.017
34	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	168	140.00	0.50	0.007
35	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	166	80.00	0.50	0.004
36	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	500	320.00	0.50	0.016
37	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	513	420.00	0.50	0.021
38	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	514	340.00	0.50	0.017
39	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	189	100.00	0.50	0.005
40	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	290/1	320.00	0.50	0.016
41	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	307	40.00	0.50	0.002
42	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	306	1280.00	0.50	0.064
43	सुकमा	सुकमा	कोंटा	राजपेटा	राजस्व वनभूमि	102	180.00	0.50	0.009
44	सुकमा	सुकमा	कोंटा	राजपेटा	राजस्व वनभूमि	108	180.00	0.50	0.009
45	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेदाकिसोली	राजस्व वनभूमि	89	120.00	0.50	0.006
46	सुकमा	सुकमा	कोंटा	फंदीगुडा	राजस्व वनभूमि	266	220.00	0.50	0.011
47	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	978	100.00	0.50	0.005
48	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	985	120.00	0.50	0.006
49	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	734	240.00	0.50	0.012
50	सुकमा	सुकमा	गादीरास	रामपुरम	राजस्व वनभूमि	356	40.00	0.50	0.002

51	सुकमा	सुकमा	गादीरास	रामपुरम	राजस्व वनभूमि	269	60.00	0.50	0.003
52	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोगपाल	राजस्व वनभूमि	162	280.00	0.50	0.014
53	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोगपाल	राजस्व वनभूमि	161/1	80.00	0.50	0.004
54	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोगपाल	राजस्व वनभूमि	276/1	20.00	0.50	0.001
55	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	626	360.00	0.50	0.018
56	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	634/1	360.00	0.50	0.018
57	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	635	180.00	0.50	0.009
58	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकापाल	राजस्व वनभूमि	245	680.00	0.50	0.034
59	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकापाल	राजस्व वनभूमि	251	100.00	0.50	0.005
60	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1013	180.00	0.50	0.009
61	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1008	680.00	0.50	0.034
62	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1040	720.00	0.50	0.036
63	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1059	580.00	0.50	0.029
64	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोडरीपाल	राजस्व वनभूमि	1075	940.00	0.50	0.047
65	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	538	120.00	0.50	0.006
66	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	550	120.00	0.50	0.006
67	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पुसपाल	राजस्व वनभूमि	26	300.00	0.50	0.015
68	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	किन्दरवाड़ा	राजस्व वनभूमि	483/1	200.00	0.50	0.010
69	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	किन्दरवाड़ा	राजस्व वनभूमि	530	460.00	0.50	0.023
70	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	183	220.00	0.50	0.011
71	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	213	100.00	0.50	0.005
72	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	555	360.00	0.50	0.018
73	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	425	240.00	0.50	0.012
74	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	516	320.00	0.50	0.016
75	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	511	260.00	0.50	0.013
76	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	95	140.00	0.50	0.007
77	सुकमा	सुकमा	कोटा	चितागुफा	राजस्व वनभूमि	115	340.00	0.50	0.017
78	सुकमा	सुकमा	कोटा	तेमेलवाड़ा	राजस्व वनभूमि	200	480.00	0.50	0.024
79	सुकमा	सुकमा	कोटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	165	140.00	0.50	0.007
80	सुकमा	सुकमा	कोटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	415	540.00	0.50	0.027
81	सुकमा	सुकमा	कोटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	412	420.00	0.50	0.021
82	सुकमा	सुकमा	कोटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	444	260.00	0.50	0.013
83	सुकमा	सुकमा	कोटा	पोलमपल्ली	राजस्व वनभूमि	232	500.00	0.50	0.025
84	सुकमा	सुकमा	कोटा	पोलमपल्ली	राजस्व वनभूमि	195	440.00	0.50	0.022
85	सुकमा	सुकमा	कोटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	123	320.00	0.50	0.016
86	सुकमा	सुकमा	कोटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	126	80.00	0.50	0.004

87	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	128	440.00	0.50	0.022
88	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	135	300.00	0.50	0.015
89	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	368	120.00	0.50	0.006
90	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	357	260.00	0.50	0.013
91	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	170	80.00	0.50	0.004
राजस्व वनभूमि (हेक्टेयर में)							24300.00		1.215
कुल योग							77.140 कि.मी.		3.857
आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार					मिश्रित प्रजाति के वन हैं साईट क्वालिटी IV घनत्व 0.2 से 0.3 है।				
आवेदित वनक्षेत्र में वृक्षों का विवरण					निरंक				
आवेदित वनक्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति					निरंक				
आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी0डब्ल्यू0डी/वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।					—				
क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के वर्ग कि.मी. में अंतर्गत है अथवा नहीं ? आदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवदेन करें।					आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि में किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) नहीं आता है।				
आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें। एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।					आवश्यकता नहीं है।				
आवेदित क्षेत्रों में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।					नहीं				

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।
आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- सुकमा

दिनांक :- 12.04.2023,

(थेजस शेखर)

भा. व. से.

वनमंडलाधिकारी

सुकमा वनमंडल, सुकमा

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रतयार्वतन प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 4

17. (नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए) टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग -3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

.....

.....

.....

.....

.....

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

.....

.....

.....

.....

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

स्थान :-

सरकारी मोहर